संख्या-2/2019/10/सैंतीस-2-2019-1(31)/2017

प्रेषक,

डा0 प्रहलाद बरनवाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनाँक-03 जनवरी, 2019

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-15 के अधीन छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु (रा.यो.) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1/2019/4179/सैंतीस-2-2018-1(31)/2017, दिनाँक-02 दिसम्बर, 2018 द्वारा रू0-1752.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश में त्रुटिवश "दिनाँक-02 जनवरी, 2019" के स्थान पर "दिनाँक-02 दिसम्बर, 2018" अंकित हो गयी है। अतएव उपरोक्त शासनादेश में त्रुटिवश अंकित "दिनाँक-02 दिसम्बर, 2018" के स्थान पर "दिनाँक-02 जनवरी, 2019" पढ़ी जाये।

2- प्रश्नगत शासनादेश को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

पृ0सं0-2/2019/10(1)/सैंतीस-2-2019- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
3. अध्यक्ष/सचिव, उ0प्र0 गोसेवा आयोग, लखनऊ।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. नगर आयुक्त, सम्बन्धित नगर निगम, उ0प्र0।
6. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in